"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 25, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-62/2005/38.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य शासन निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 का निम्नलिखित नियमन निर्धारित कर रही है.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(क) ये नियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005" कहे जाएंगे.

(ख) इसका विस्तार समस्त छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

(ग) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, सन् 2005)।

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत स्थापित विनियामक आयोग।

(ग) "उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य।

(घ) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत निगमित निजी विश्वविद्यालय।

(ङ.) "नियमन" से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियम।

(च) "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 29 में परिभाषित प्रायोजक निकाय।

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

(ज़) "विजिटर" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 38 द्वारा परिभाषित निजी विश्वविद्यालय के विजिटर।

(झ) उपयोग किये गये उन शब्दों या अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 में परिभाषित है, जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करे, वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में दिये गये हैं।

3. स्थापना हेतु आवेदन.

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इच्छुक प्रायोजक निकाय विनियामक आयोग को संलग्न प्रारूप–क में दर्शाएनुसार आवेदन देगा।

(ख) आवेदन पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसे प्रायोजक निकाय के लिखतों को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(ग) आवेदन के साथ रू0 5,000/– (रू0 पाँच हजार) का आवेदन शुल्क क्रास्ड अकाउंट पेयी ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना होगा जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम पर होगा तथा जो रायपुर में भुगतान योग्य होगा।

(घ) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन के साथ एक परियोजना प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

(ड.) प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पावती विनियामक आयोग द्वारा दी जावेगी।

4. विन्यास निधि की स्थापना.

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना चाहने वाले प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आशय पत्र प्राप्त होने के उपरांत विन्यास निधि की स्थापना की जाएगी।

(ख) विन्यास निधि की राशि संलग्नक–ख में दिये गये प्रारूप में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के खाते में प्रायोजक निकाय के हस्ताक्षर से क्रास्ड एकांउट पेयी ड्राफ्ट द्वारा, जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से होगा तथा जो रायपुर में भुगतान योग्य होगा, जमा की जाएगी। इसकी पावती का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप–ग में आयोग द्वारा दिया जावेगा।

5. विन्यास निधि का विनियोजन.

(क) निधि की तरलता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विनियामक आयोग विन्यास निधि का किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विनियोजन करेगा।

(ख) विनियोजन से आय की राशि का विनियामक आयोग अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग कर सकेगा।

6. विन्यास निधि से आय.

(क) तत्समय भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत बैंक खाता में जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दर से विनियामक आयोग, प्रायोजक निकाय को विन्यास निधि की राशि पर ब्याज देगा।

(ख) विन्यास निधि से प्राप्त आय किसी अनुसूचित बैंक में एक संयुक्त बचत खाते में जमा की जावेगी। संयुक्त खाता प्रायोजक निकाय तथा "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा।

(ग) विन्यास निधि की आय का उपयोग ऐसे किसी कार्य में नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजक निकाय से संबंधित हो। विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग निजी विश्वविद्यालय द्वारा मात्र विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में ही किया जाएगा।

7. <u>विन्यास निधि का समपहृत किया जाना.</u>

(क) विनियामक आयोग का यह समाधान होने पर कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) अथवा/एवं धारा 40 अथवा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक हो गया है तो इस संबंध में वह संबंधित निजी विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय को पूर्ण विन्यास निधि या उसके एक अंश तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, को अपने लिए समपहृत करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु, कारण बताओ सूचना जारी करेगा।

(ख) विन्यास निधि को समपहृत करने हेतु जारी किये गये कारण बताओ सूचना का जवाब प्रायोजक निकाय को सूचना प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर देना होगा।

(ग) कारण बताओ सूचना के जवाब की प्राप्ति निर्धारित अवधि के अंदर प्रायोजक निकाय से प्राप्त न होने पर विनियामक आयोग, विन्यास निधि समपहृत करने हेतु आदेश प्राप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन को कर सकेगा तथा आदेश प्राप्त हो जाने पर विन्यास निधि समपहृत कर ली जाएगी और समपहृत राशि राज्य के खाते में शीर्ष " 0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; (103) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) – निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियॉ " के अंतर्गत जमा की जाएगी।

8. <u>विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय की वापसी.</u>

(क) यदि प्रायोजक निकाय अपने द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय को किन्हीं कारणों से अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है स्वयं बंद करना चाहे तो इन परिस्थितियों में प्रायोजक निकाय को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके द्वारा स्थापित उस निजी विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया कोई भी विद्यार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए प्रायोजक निकाय को अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा सम्पन्न कराने तथा उसके आधार पर संबंधित विद्यार्थियों की उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की संपूर्ण योजना भी विनियामक आयोग को प्रस्तुत करना होगा। विनियामक आयोग पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय ने प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया है, प्रायोजक निकाय से इस आशय का शपथ प्रस्तुत करने को कहेगा कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अन्य किसी के प्रति कोई देनदारी नहीं है। शपथपत्र प्राप्त होने पर विनियामक आयोग शपथपत्र के तथ्यों का परीक्षण करेगा। इस बात से संतुष्ट होने पर कि शपथपत्र पूरी तरह से सही हैं, विनियामक आयोग विन्यास निधि तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, प्रायोजक निकाय को वापस करेगा।

(ख) विनियामक आयोग प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का परीक्षण करेगा और यदि विनियामक आयोग प्रस्तुत शपथपत्र के तथ्यों से सहमत नहीं है, तो वह वहाँ विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय के ऐसे अंश को, जिसे वह उचित समझे, रोक कर रखेगा और उस समय तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जावे कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के प्रति अब कोई देनदारी नहीं है तथा निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने तथा इनके आधार पर विद्यार्थियों को उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की व्यवस्था कर ली गई है।

(ग) परंतु यह भी कि, जहाँ किसी प्रायोजक निकाय ने निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की मंशा से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात्. विन्यास निधि की राशि विनियामक आयोग की निधि में जमा की है तथा जहाँ विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव से, वह उन कारणों से सहमत नहीं हो सकता जिन्हें वह लिखित में उल्लेख करेगा और इसलिए इस स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकार को यह सलाह दे कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये तो विनियामक आयोग विन्यास निधि की राशि प्रायोजक निकाय को उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, के सहित वापस करेगा।

9. <u>शुल्क जमा करने की प्रक्रिया.</u>

(क) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से एकत्रित किये शुल्क का वह अंश जो विनियामक आयोग के पास अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत देय होगा, क्रॉस्ड एकाउण्टपेयी बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चेक, जो कि "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा तथा रायपुर में भुगतान योग्य होगा, संलग्न प्रारूप–घ में दर्शाये अनुसार किया जायेगा।

(ख) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा की गई राशि 15 दिन के अंदर राज्य के कोषालय में शीर्ष "0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; (103) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) – निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियाँ" के अंतर्गत जमा करेगा जिसका विवरण संलग्न प्रारूप–ड. में दर्शाये अनुसार रखा जावेगा और इसकी एक प्रतिलिपि प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(ग) इन नियमों के प्रावधानों के तहत निजी विश्वविद्यालयों से एकत्रित किया गया और शासकीय कोषालय में जमा किये शुल्क, तथा दंडात्मक ब्याज यदि कोई हो, जो लगाया गया हो और शासकीय कोषालय में जमा किया गया हो तो इस संबंध का जरूरी विवरण हर वित्तीय वर्ष में विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा । संलग्न क–च में दर्शाये अनुसार दण्डात्मक ब्याज की जानकारी रखी जावेगी।

10. <u>विनियामक आयोग की स्थापना.</u>

(क) राज्य में कार्यरत "छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" का उत्तराधिकारी "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" होगा तथा अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(ख) "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" का मुख्यालय रायपुर होगा।

11. विनियामक आयोग के कृत्य.

(क) विनियामक आयोग उन समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (8) में उल्लिखित है तथा ऐसे अन्य कृत्य भी जिन्हें वह अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

(ख) निजी विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित अन्य ऐसे विषय जो राज्य शासन द्वारा संदर्भित किया जावें।

12. विनियम बनाने की शक्तियॉ.

(क) आयोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा प्रशासन और प्रबंध की प्रक्रिया विनियमन के रूप में निर्धारित करेगा।

(ख) जब तक इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमन नहीं बन जाते, विनियामक आयोग अपने प्रशासन और प्रबंध के लिए छत्तीसगढ़ शासन का, यथावश्यक परिवर्तन सहित, नियम अपना सकेगा या ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

13. कुलाध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण.

(क) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ख) विनियामक आयोग के सामान्य नियंत्रण के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी कागज–पत्र या जानकारी मंगा सकेगा और ऐसा करने के कारण लिखित में अंकित किये जायेंगे तथा इस आधार पर लिखित में विनियामक आयोग को ऐसे निर्देश दिये जा सकेंगे ।

(ग) कुलाध्यक्ष ऐसा कोई निर्देश देने के पहले चाहे तो आयोग से विषय पर उसके विचार प्राप्त कर सकेगा तथा यदि वो चाहेगा तो किसी विषय पर निर्देश देने के पहले विनियामक आयोग से प्रकरण व्यक्तिशः प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकेगा।

14. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं का निबंधन तथा शर्ते.

(1)(क) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में आगे एक और अवधि की नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की व्यवस्था के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं, वह अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के पश्चात् पद पर नहीं रह सकेगा।

(3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य कुलाध्यक्ष को संबोधित किये गये अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा तथा वह उस त्याग पत्र की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग को पृष्ठांकित करेगा।

(4) यदि किसी समय किसी ज्ञापन के आधार पर या अन्यथा कारणों से कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा –

(क) अधिनियम के अंतर्गत उसको सौंपे गये कर्त्तव्यों के निवर्हन में चूक हुई है, या;
(ख) विनियामक आयोग के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से कार्य किया गया है, या;
(ग) विनियामक आयोग के कार्यों का प्रबंधन करने में अक्षम है, तो कुलाध्यक्ष यह मानते हुए भी कि उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित आदेश द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए, अध्यक्ष/सदस्य को पदमुक्त होने के लिए उस दिनांक से जैसा कि आदेश में उल्लेख हो, आदेशित कर सकता है।

(5) उप धारा (4) में उल्लिखित दिनांक से अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने कार्यभार से मुक्त माने जाएंगे और अध्यक्ष या सदस्य का कार्यालय रिक्त मान लिया जाएगा।

(6) यदि अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य का पद मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण या अन्यथा भी आकस्मिक रूप से रिक्त होता है, तो नई नियुक्तियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।

शिक्षा विभाग, कुलाध्यक्ष से सम्पर्क करके, किसी पूर्णकालिक सदस्य को अध्यक्ष के कार्यालय की आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिये नियुक्त कर सकेगा जो दो माह से अधिक समय के लिये नहीं होगा।

(7) अध्यक्ष के छुट्टी पर रहने के कारण या उसकी रूग्णता के कारण या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों का पद पूर्णकालिक एवं वैतनिक होगा ।

(9) पूर्णकालिक सदस्य ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो समय–समय पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायेंगे ।

(10) अध्यक्ष को समग्र रूप से रूपये 25,000/– प्रतिमाह का वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान (ग्रेच्युटी) की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।

परंतु यदि अध्यक्ष को कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे प्रतिमाह रूपये 25,000/– वेतन तथा उस पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर देय महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(11) अध्यक्ष को विनियामक आयोग के मुख्यालय में निःशुल्क साज–सज्जा युक्त आवास की पात्रता होगी, जिसका रख–रखाव राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

(12) अध्यक्ष को एक कार, एक ड्राइवर तथा कार्यालय में एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष उपलब्ध कराए जावेंगे।

(13) पूर्णकालिक सदस्यों को समग्र रूप से रूपये 18,400/– प्रतिमाह वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।

यदि किसी सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसे प्रतिमाह रूपये 18,400/– वेतन तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को देय समय–समय पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते की पात्रता होगी।

(14) पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को तत्समय दिये जाने वाले दर से मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी और इसके साथ ही उनके कार्यालय एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलिफोन की पात्रता होगी।

(15) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा 1 माह के अर्जित अवकाश/मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी। अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के अवकाश का लेखा विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा।

(16) आयोग अथवा शासन के कार्यो से यात्रा के दौरान राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ते की दर से इन भत्तों की पात्रता अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को होगी। इसके साथ वे तीन सितारा तंक के होटल में रह सकेंगे जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(17) राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय मेडिकल सुविधाएँ या उसके बदले में मेडिक्लेम, जैसा कि शिक्षा विभाग तय करे, पात्रता अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को होगी।

(18) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को आयोग से सेवानिवृत्ति संबंधी सुविधाएँ, प्राप्त नहीं होंगी जैसे पेंशन, उपादान या दोनों।

(19) अंशकालिक सदस्यों को रूपये 1,000/– प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय दर से यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कर्त्तव्य पर व्यतीत अवधि के लिए तीन सितारा तक के होटल में रूकने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

15. **आयोग का सम्मिलन.**

(क) आयोग ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जावेगा।

(ख) आयोग के सम्मिलनों में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम् पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्षता करेंगे।

(ग) आयोग के किसी सम्मिलन में विचारार्थ सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा।

परंतु यदि कोई भी सदस्य नहीं नियुक्त हुआ है तो अध्यक्ष प्रश्नों पर निर्णय सकारण जारी किये गये आदेश/संकल्पों द्वारा लेगा।

परंतु यह और भी कि यदि बैठक में अध्यक्ष और केवल एक सदस्य उपस्थित हों तो प्रश्नों पर निर्णय सकारण आदेश/संकल्प जारी करके अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्य का मत रिकार्ड करते हुए लिया जायेगा।

(घ) विनियामक आयोग की बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी पूर्णकालिक सदस्य या आयोग के अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। कार्यवृंत्त का अभिप्रमाणीकरण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें विनियामक आयोग के स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।

16. <u>रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.</u>

आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि :—

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
(ख) आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
(ग) आयोग की कार्यवाही में कोई अनियमितता है;

किंतु जो कि प्रकरण की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है।

17. <u>विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों की अस्थायी सहयुक्ति.</u>

(क) आयोग किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए चाहता है, वह अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।

(ख) आयोग द्वारा उसके साथ उपनियम (1) के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किये गये व्यक्ति को उस प्रयोजन से संगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे आयोग के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

(ग) नियम 17 के अंतर्गत आयोग के साथ सहयुक्त किये गये व्यंक्ति को रूपये 500/— प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को तत्समय देय यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

18. <u>विनियामक आयोग के आदेशों तथा अन्य लिखितों का अभिप्रमाणीकरण.</u>

आयोग के समस्त आदेशों तथा विनिश्चय, सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किये जावेंगे और इस कार्य के लिए सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जावेगा और आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्णयों या अन्य लिखितों को सचिव या सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अयोग के किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस संबंध में उसी रीति में प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रमाणित किया जावेगा।

19. आयोग को संदाय.

छत्तीसगढ़ शासन, राज्य विधानसभा द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का जो कि अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझा जाये, संदाय करेगा।

20. विनियामक आयोग की निधि .

(क) विनियामक आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी समस्त राशियॉं जिनका समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा उसे संदाय किया जाये तथा आयोग की समस्त प्राप्तियॉं (जिनमें विन्यास निधि, अतिरिक्त निधि तथा कोई भी ऐसी राशि सम्मिलित होगी जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग को सौंपी जाये) निधि में रखी जायेगी तथा आयोग द्वारा समस्त संदाय उसी में से किया जायेगा ।

(ख) निधि का समस्त धन किसी अनुसूचित बैंक, जैसा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) में परिभाषित किया गया है, में जमा किया जायेगा।

(ग) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियॉं, जो कि वह उचित समझे व्यय कर सकेगा, और ऐसी राशियों को विनियामक आयोग की निधि से चर्ख की जाने वाली मानी जावेंगी।

21. बजट.

आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि वह तय करे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियॉं तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसकी प्रतिलिपियॉं उच्च शिक्षा विभाग को इस आशय से अग्रेषित की जायेंगी कि वह राज्य विधानसभा द्वारा इस संबंध में किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को राशियों का संदाय कर सके, जैसा कि ऊपर नियम 19 में उल्लिखित है।

22. वार्षिक रिपोर्ट.

आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का सही तथा पूर्ण लेखा–जोखा दिया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जायेगी । उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवायेगा।

23. लेखा तथा सम्परीक्षा.

(क) विनियामक आयोग अपने लेखा के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा कि उसके द्वारा तय किया जाये, रखवायेगा।

(ख) विनियामक आयोग अपनी वार्षिक लेखाओं को बंद करने के पश्चात्, यथाशीघ्र लेखाओं का विवरण ऐसे प्रारूप तथा ऐसी तारीख तक तैयार करेगा, जैसा कि आयोग तय करे।

(ग) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरंत बाद की जायेगी।

(घ) विनियामक आयोग की वार्षिक लेखा, जैसा कि चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित किया जायेगा तथा उच्च शिक्षा विभाग उन्हें राज्य विधानसभा के समक्ष रखवायेगा।

24. विनियामक आयोग के कर्मचारीवृंद, आवास और अन्य सुविधाएँ.

(क) विनियामक आयोग उतने कर्मचारी जितने कि अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो, प्रतिनियुक्ति पर या अन्य तरीके से नियुक्त करेगा।

(ख) विनियामक आयोग अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास साज–सज्जा और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

25. नियमों का शिथिलीकरण (Relaxation of Rules).

इन नियमों द्वारा जिन प्रकरणों का समाधान् न हो सकता हो उन प्रकरणों पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ऐसा निर्णय ले सकेगा जो साम्य के सिद्धांत (Principle of Equity) द्वारा समर्थित है।

26. नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाना.

ये नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

27. निरसन एवं व्यावृति.

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियम 2004 एवं इस नियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक यदि कोई आदेश, संकल्प प्रभावी हो, तो जैसी भी स्थिति हो, वे इसके उपरांत विखंडित या निरस्त माने जावेंगे।

परंतु इन निरस्त नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा किया गया या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

संलग्नक – क

छत्तीसगढ़ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन का प्रारूप

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत

[देखें नियम 3 से 6]

प्रति,

अध्यक्ष,
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर, (छ0ग0)

(1)	**प्रायोजक निकाय का विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .... में हैं)		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	पिन कोड क्रमांक	
	(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
	(ड.)	फैक्स क्रमांक	
	(च)	ई–मेल	
(2)	**प्रायोजक निकाय के पंजीकरण एवं उसके संविधान तथा उपविधियों संबंधी विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .... में हैं)		
	(क)	प्रायोजक निकाय छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है; या	
	(ख)	यह कोई सार्वजनिक न्यास है; या	
	(ग)	क्या कंपनी अधिनियम 1956 (सन् 1956 का क्रमांक–1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है.	
	(घ)	क्या प्रायोजक निकाय एक ऐसा निकाय है जो उक्त (क), (ख), (ग) की व्यवस्था अनुसार पंजीकृत नहीं है किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ? यदि हॉ तो उस अधिनियम की जानकारी जिसके अंतर्गत पंजीकृत है.	
	(ड.)	पंजीकरण की प्रामाणिक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.	
	(च)	संविधान तथा उपविधियों की प्रति संलग्न करें.	

(3)	प्रायोजक निकाय के विगत् 03 वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(4)	प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(5)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(6)	उस स्थान का पूरा पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(7)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(8)	क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय, भारतीय संविधान की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करेगा, यदि हॉ, तो उसका विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(9)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.	
	(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर सीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है.	

(10)	**प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि की जानकारी .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	आवेदन की तिथि में विश्वविद्यालय के पूर्ण उपयोग के लिए यदि कोई भूमि उपलब्ध है तो उसका विवरण.	
	(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
	(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
	(3)	भूमि का नक्शा.	
	(ख)	आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली भूमि संबंधी जानकारी.	
	(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
	(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
	(3)	भूमि का नक्शा.	
	(4)	भूमि किससे प्राप्त की जायेगी.	
	(5)	भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त व्यवस्था.	
(11)	**विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत ब्यौरा .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसरंचनात्मक सुविधाएँ .	
	(ख)	उपकरणों को प्राप्त करने हेतु योजना	
	(ग)	आगामी पॉच वर्षो हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप–रेखा.	
(12)	**पूँजीगत व्यय का आगामी पॉच वर्षो के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(13)	**संकायों की प्रकृति (नाम) .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	संकायों का नाम यथा : विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि .	
	(ख)	प्रत्येक संकाय के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के प्रकार यथा : स्नातक, स्नातकोत्तर आदि .	

	(ग)	प्रत्येक पाठ्यक्रम की राज्य के विकास के संदर्भ में प्रासंगिकता .	
	(घ)	प्रत्येक पाठ्क्रम में छात्रों की लक्षित संख्या .	
	(ड.)	पाठ्यक्रमों के लिए अगले 05 वर्षो हेतु चरणबद्ध प्रस्तावित कार्यक्रम .	
	(च)	प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में यह जानकारी की क्या इसे प्रारंभ करने के लिये केन्द्रीय नियामक अभिकरण अथवा/और राज्य नियामक अभिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है ? यदि हॉ तो उसके संबंध में जानकारी, यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है तो प्राप्त न करने का विस्तृत विवरण, इस विवरण में यह भी स्पष्ट किया जाए कि केन्द्र/राज्य सरकार के किस अधिनियम/आदेश के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक है.	
(14)	**प्रायोजक निकाय की संबंधित विधाओं में उपलब्ध (यदि कोई हो) पूर्व अनुभव तथा विशेषज्ञता .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(15)	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों एवं शोध हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधाओं की उपलब्धता .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	अध्यापक.	
	(ख)	तकनीकी/गैर–तकनीकी कर्मचारी.	
	(ग)	उपकरण एवं प्रयोगशाला.	
(16)	**प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रमों पर अलग–अलग व्यय का विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	आवर्ती व्यय का अनुमान.	
	(ख)	उपलब्ध वित्त स्रोत.	
	(ग)	अनुमानित व्यय प्रति विद्यार्थी,	
(17)	**संसाधनों को गतिमान करने की योजना हेतु .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	पूँजी की लागत.	
	(ख)	स्त्रोतों के भुगतान की प्रक्रिया.	

(18)	**विभिन्न आंतरिक स्त्रोतों से प्रत्याशित आय से कोष निर्माण की योजना .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	छात्र शुल्क द्वारा.	
	(ख)	परामर्श सेवा द्वारा.	
	(ग)	विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों द्वारा.	
(19)	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढॉचा, रियायत एवं छात्रवृत्ति .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	सामान्य वर्ग हेतु.	
	(ख)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु.	
	(ग)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु	
(20)	**पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(21)	**अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(22)	**शिक्षा प्रदाय की विधि .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
	(क)	परम्परागत शिक्षा पद्धति.	
	(ख)	दूरवर्ती शिक्षा पद्धति.	
	(ग)	उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति	
(23)	**यदि दूरवर्ती शिक्षा प्रस्तावित हो तो प्रस्तावित केन्द्रों के नाम तथा विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		
(24)	**स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)		

(25)	कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)	
(26)	उपलब्ध या/प्रस्तावित अन्य सुविधाएँ .	
	(क) छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता.	
	(ख) खेल मैदान.	
	(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काऊट एवं गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि.	
(27)	छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित दूर परिसर केन्द्र/अध्ययन केन्द्र का विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)	
(28)	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता एवं औचित्य . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)	
(29)	यदि प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी जिसमें स्थापना की अधिसूचना क्रमॉक व दिनांक तथा पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 का क्रमॉक दर्शाएं । इसके साथ यह भी दर्शाएं कि क्या विन्यास निधि अथवा/अतिरिक्त निधि जमा की गई है या जमा है ? यदि हॉ, तो इसके संबंध में सप्रमाण सम्पूर्ण जानकारी . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)	
(30)	आवेदन शुल्क की जानकारी (बतायें) :— (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका ....में हैं)	
	(क) रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि.	
	(ख) उस बैंक का नाम जिसने डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी किया है.	
	(ग) डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक.	
	(घ) डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजक निकाय का तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम दें.	

उपरोक्तानुसार ....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से .... (प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना

एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार एतद् द्वारा आवेदन प्रस्तुत है। इस आवेदन के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवरण परियोजना प्रतिवेदन में दिया गया है। प्रत्येक बिन्दु के आगे दर्शायी परियोजना प्रतिवेदन की संदर्भित कंडिका/कंडिकाओं में विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

(क) मुझे ....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को ....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि ....(प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा (संकल्प की प्रति संलग्न की जाये) ।

स्थान : ....
दिनांक: ....

हस्ताक्षर ....
नाम एवं पदनाम..
प्रायोजक निकाय का नाम..

संलग्नकों की सूची :

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :–

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शी टीप :—

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये आवेदन देने से पहले छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में दिये गये प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेंवे।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, 29/776, प्लाट नं.–5, ब्लॉक नं.–3, राम मंदिर के सामने, मधुपिल्लै चौक, शांति नगर, रायपुर, पिनकोड – 492007 में रूपए 500/– (रू0 पॉच सौ मात्र) का क्रास्ड अकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट, जो कि "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से हो तथा रायपुर में भुगतान योग्य हो जमा कर व्यक्तिशः या ऐसा ही रूपया 550/– (रू0 पॉच सौ पचास) का ड्राफ्ट भेजकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के आवेदन का प्रारूप अधिनियम तथा नियमों की प्रति डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(3) प्रायोजक निकाय या उनका प्रतिनिधि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विनियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। मार्गदर्शक सत्र पहले से समय निर्धारित कराने पर ही आयोजित किया जा सकेगा।

* * * * * *

संलग्नक—ख

विन्यास निधि की स्थापना के लिए आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर, (छं0ग0)

(1)	प्रायोजक निकाय का विवरण .		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	पिन कोड क्रमांक	
	(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
	(ड.)	फैक्स क्रमांक	
	(च)	ई—मेल	
(2)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम .		
(3)	उस स्थान का पूरा पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा .		
(4)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो .		
	(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.	
	(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर सीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है.	
(5)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि का विवरण (बताए)*		

	(क)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम.	
	(ख)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय का नाम.	
	(ग)	अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था.	
	(घ)	पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का क्रमांक.	
	(ङ.)	क्या पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित था ?	
	(च)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के विन्यास निधि की राशि जों विनियामक आयोग के पास जमा है (बैंक की पे–इन–स्लीप) की फोटो प्रति लगाकर प्रमाण दें.	
	(छ)	अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परंतुक में प्रावधानित अनुसार विन्यास निधि की वह शुद्ध राशि जो प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि को समायोजित कर जमा करना प्रस्तावित है.	
(6)	विन्यास निधि का विवरण (बताए) .		
	(क)	विन्यास निधि की राशि	
	(ख)	बैंक ड्राफ्ट नं. तथा पूर्ण विवरण जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का नं., ब्रांच का कोड उस बैंक का शामिल हो जिसनें बैंक ड्राफ्ट जारी किया हो.	
	(ग)	बैंक ड्राफ्ट जारी करने का दिनांक.	
	(घ)	उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसनें प्रायोजक निकाय की ओर से विन्यास निधि की राशि जमा की है.	
	(ङ.)	बैंक ड्राफ्ट के पीछे प्रायोजक निकाय तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम लिखें.	

* यह जानकारी केवल उन प्रायोजक निकायों को देना है जिन्होंने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किये थे अन्य प्रायोजक निकाय यहॉ निरंक जानकारी देवें.

(7)	**विन्यास निधि से प्राप्त आय जमा करने के लिये बचत खाता खोलने का प्रमाण .**		
	(क)	उस अनुसूचित बैंक का नाम, उसके शाखा का नाम सहित जिसमें बचत खाता खोला गया है.	
	(ख)	वह राशि जिससे बचत बैंक खाता खोला गया है। बैंक द्वारा जारी पे–इन–स्लीप संलग्न करें.	
	(ग)	उस व्यक्ति का नाम एवं पदनाम जो कि प्रायोजक निकाय की ओर से बचत खाते का संचालन करेगा.	
	(घ)	बचत बैंक खाता क्रमांक एवं इस खाते की स्थापना का दिनांक.	
(8)	**आशय पत्र का विवरण (बताएं) .**		
	(क)	जारी करने का क्रमांक और दिनांक.	
	(ख)	प्रायोजक निकाय को प्राप्त होने का दिनांक.	
	(ग)	आशय पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें.	
(9)	**विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में अन्य कोई जानकारी जो प्रायोजक निकाय देना चाहे या कोई आवेदन जो इस संदर्भ में प्रायोजक निकाय करना चाहे .**		

उपरोक्तानुसार ....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से .... (प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) की विन्यास निधि की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत है।

<u>मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–</u>

(क) मुझे ....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को ....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से विन्यास निधि की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि ....(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा रूपया (अंकों में) .... रूपया (शब्दों में) .... विन्यास निधि के रूप में जमा करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गयें नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

स्थान : ....
दिनांक: ....

हस्ताक्षर ....
नाम एवं पदनाम ....
प्रायोजक निकाय का नाम..

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :–

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

संलग्नक—ग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

दूरभाष क्रं.	
फैक्स, क्रं.	
ई—मेल	
दिनांक	

क्रं.

विषयः— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के खाते में जमा "विन्यास निधि" के लिए प्रमाण पत्र।

संदर्भः— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन अधिनियम) 2005 की धारा 11(1) देखें।

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आशय पत्र का संदर्भ	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का क्षेत्र (सामान्य/अधिसूचित क्षेत्र)	राशि	जमा किये गये डिमांड ड्राफ्ट का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : नाम एवं पदनाम

प्रायोजक निकाय का नाम (पद मुद्रा सहित)

संलग्नक—घ

एकत्रित किये गये शुल्क का विवरण जो विनियामक आयोग को भेजा गया

विश्वविद्यालय का नाम			
पिनकोड सहित पता			
दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी. कोड नम्बर सहित		फैक्स नं.	
		ई—मेल	
विवरण क्रमांक ....वर्ष			

उस माह का नाम, जिसके लिए शुल्क एकत्रित किया गया है ....

स.क्र.	परिसर/अध्ययन केन्द्र का नाम	परिसर/अध्ययन केन्द्र का पता	पाठ्यक्रम का नाम	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिमाह शुल्क की दर	कुल एकत्रित शुल्क	कॉलम 7 में दर्शाये कुल शुल्क का 1 %	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कॉलम–7 का योग : रूपए ....(अंकों में) रूपये..(शब्दों में)
कॉलम–8 का योग : रूपए ....(अंकों में) रूपये..(शब्दों में)

(1) उस बैंक का तथा उसकी शाखा का नाम, जिसके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया..
(2) डिमाण्ड ड्रॉफ्ट क्रमांक ....
(3) डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जारी करने की तारीख ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण में दी गई शुल्क एकत्रित करने की जानकारी हमारे द्वारा जॉच ली गई है तथा सही है।

दिनांक ....

कुलसचिव

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

मार्गदर्शी टीप :

(1) कॉलम क्रमांक – 4 : उस पाठ्यक्रम का उल्लेख करें, जिसके लिए शुल्क विद्यार्थियों से एकत्रित किया गया है।

(2) कॉलम क्रमांक – 6 : "शुल्क" से अभिप्रेत है निजी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क जो किसी भी नाम से परंतु वापसी योग्य नहीं है।

संलग्नक–ड.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

	दूरभाष क्रमांक	
	फैक्स क्रमांक	
	ई–मेल	
क्रमांक	दिनांक	

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया शुल्क का विवरण।
संदर्भ : छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, 2005) की धारा – 12 देखें।

कोषालय में जमा की गई शुल्क की राशि का विवरण

स. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	वह माह जिसमें शुल्क एकत्रित की गई	विवरण क्रमांक तथा वर्ष	राशि	विविध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कॉलम–5 का योग : रूपए ....(अंकों में) रूपये....................(शब्दों में)

(1) Payee का नाम : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ....
(2) वह मद, जिसके अंतर्गत राज्य की संचित निधि में जमा की गई है ....
(3) कोषालय का नाम जिसमें राशि जमा की गई है ....
(4) Account Payee चेक का क्रमांक ....
(5) चेक जारी करने का दिनांक ....
(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया है ....
(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किये हैं ....

(1) हस्ताक्षर .... (2) हस्ताक्षर ....
पदनाम .... पदनाम ....

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

मार्गदर्शी टीप :

(i) कॉलम क्रमांक – 4 : प्रत्येक माह में एकत्रित किये गये शुल्क और उसे विनियामक आयोग को भेजने संबंधी विवरण प्रारूप – तीन में है। प्रारूप – 3 में भेजे जाने वाले विवरण को संबंधित निजी विश्वविद्यालय क्रमांक देगा। निजी विश्वविद्यालय इसमें वर्ष भी लिखेगा। यह विवरण क्रमांक तथा वर्ष इस कॉलम में विनियामक आयोग के कार्यालय द्वारा अंकित किया जायेगा।

संलग्नक—च

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

क्रमांक	दूरभाष क्रमांक	
	फैक्स क्रमांक	
	ई—मेल	
	दिनांक	

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया दंडात्मक ब्याज का विवरण।
संदर्भ : छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, 2005) की धारा – 12 देखें।

स. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	विनियामक आयोग का संकल्प क्रमांक जिसके द्वारा दंडात्मक ब्याज लगाने और एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है	राशि	विवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कॉलम—4 का योग : रूपए ....(अंकों में) रूपये..........................(शब्दों में)

(1) Payee का नाम : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ....
(2) वह मद, जिसके अंतर्गत राज्य की संचित निधि में जमा की गई है ....
(3) कोषालय का नाम जिसमें राशि जमा की गई है ....
(4) Account Payee चेक का क्रमांक ....
(5) चेक जारी करने का दिनांक ....
(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया है ....
(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किये हैं ....

(1) हस्ताक्षर .... (2) हस्ताक्षर ....
पदनाम .... पदनाम ....

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्र. एफ 3-62/2005/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-62/2005/38 दिनांक 16-12-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 16th December 2005

NOTIFICATION

No. F 3-62/2005/38.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government hereby makes the following Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005.

1.Short title and Commencement:- (a) These rules may be called "Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation), Rules, 2005.

(b) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(c) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2.Definitions:-

(a) "Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005);

(b) "Commission" means the Regulatory Commission established under section 36 of the Act;

(c) "Higher Education" means the Higher Education Department, State of Chhattisgarh;

(d) "Private University" means the Private Universities incorporated under the Act;

(e) "Regulation" means the regulation made under the provisions of the Act;

(f) "Sponsoring Body" means the sponsoring body as defined in clause 29 of section 2 of the Act;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh;

(h) "Visitor" means the visitor of the private universities as defined in clause 38 of Section 2 of the Act.

"Words and Expression" used but not defined in these rules and defined in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation Act, 2005, as the context requires, have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Application for Establishment:- (a) Sponsoring body intending to establish a private university shall submit the application for establishment of the private university in prescribed form shown in Annexure "A" to the Regulatory Commission.

(b) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of the Sponsoring Body.

(c) Application fee of Rs.5000/- (Rs:five thousand only) shall be sent alongwith application through a crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur.

(d) Application for the establishment of the Private University shall be accompanied by a Project Report.

(e) Application submitted by the sponsoring body shall be duly acknowledged by the Regulatory Commission.

4.Establishment of Endowment Fund:-(a) Sponsoring Body intending to establish a Private University shall establish an Endowment Fund after receiving the Letter of intent as provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act in accordance with the provision of Section 11 of the Act.

(b) The Endowment fund shall be deposited in the fund of the Regulatory Commission under the signature of Sponsoring Body through crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in form shown in Annexure "B" & shall be issued a certificate of receipt by the Commission in form shown in Annexure "C".

5.Investment of Endowment Fund:- (a) The Regulatory Commission shall invest the Endowment Fund in the form of Fixed Deposit in some Scheduled Bank, keeping in view of the various parameters for ensuing liquidity, security and profitability of the funds.

(b) Proceeds from the investment shall be utilised by the Commission for performing its function.

6.Income from Endowment Fund:- (a) The Regulatory Commission shall pay to the Sponsoring Body interest on the amount of the Endowment Fund at the rate at which the State Bank of India pay the interest, during the period under consideration, on the savings Bank Account.

(b) Income from the Endowment fund shall be deposited in a Joint Savings Bank Account opened in a Scheduled Commercial Bank. Joint Account will be in the name of the Sponsoring Body and "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission."

(c) Income from the Endowment Fund shall not be invested in any business connected directly or indirectly with the Sponsoring Body. This Income shall be used only for the development of the University

7. Forfeiture of Endowment Fund :- (a) If Commission is satisfied that such a situation has arisen that it has to discharge its responsibility according to provisions of Sub- section 2 of Section 11 or/ and Sections 40 or 41 of the Act, it shall issue a showcause notice to the Sponsoring Body of the concerned Private University for forfeiture of a part or whole of the Endowment Fund alongwith the income on this Endowment Fund, if any, for implementing the provisions of sub-section (2) of Section 11 of the Act.

(b) Sponsoring Body shall reply the showcause notice for forfeiture of the Endowment Fund within 45 days of its receipt.

(c) After receipt of notice if Sponsoring Body fails to reply within stipulated period, Commission may recommend to the State Government for permission to forfeit the Endowment Fund and after obtaining permission Endowment Fund shall be forfeited and credited in the Government Account under the Head "0202- Education, Sports, Art and Culture (103)- University and Higher Education, (0883).

8. Refund of Endowment Fund and its Income:- (a) If the Sponsoring Body proposes to dissolve or de-establish the Private University

established under the provisions of the Act due to any reasons or circumstances beyond its control, the Sponsoring Body shall have to ensure that no student admitted in the University shall be adversely affected. The Sponsoring Body shall also submit to the Regulatory Commission a complete plan for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding Degree, Diploma, Certificate. etc. to the students studying in the University. On being fully satisfied that the Sponsoring Body has completed its responsibilities towards the students according to the plans so submitted, the Regulatory Commission shall ask the Sponsoring Body to submit an affidavit stating that the Sponsoring Body does not bear any liabilities due to State Government, Students, and Employees of the University or any other person. On receiving the Affidavit, Reguatory Commission will examine the facts stated therein. After being satisfied that the facts given in the Affidavit are true, Regulatory Commission will return the Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.

(b) Regulatory Commission shall examine the affidavit submitted by the Sponsoring Body and in case of disagreement with the facts shown in the affidavit, Regulatory Commission shall return such a portion of the Endowment Fund and income therefrom, if any, as it considers proper, and it will not return the same till it is fully satisfied that the Sponsoring Body does not bear any due liabilities to the State Government, students and employees of the private university, and that the arrangements have been made for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding of degree, diploma and certificate, etc., to the students studying in the Private University.

(c) Provided that where the amount of Endowment Fund has been deposited in the Fund of the Regulatory Commission by a Sponsoring Body with an intention to start a Private University after receiving letter of intent, as per sub-section (2) of Section 6 of the Act, and where the Regulatory Commission is satisfied as per Section 8 of the Act, that the proposal to establish a Private University can not be approved by it for the reasons to be recorded in writing and thus is not in a position to advise the State Government to issue a Notification for establishment of the Private University under sub-section (1) of Section 9 of the Act, the Regulatory Commission shall refund the amount of Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.

9. Procedure for fees deposit:- (a) Every Private University shall deposit the portion of the fees collected from the student due under the provisions of section 12 of the Act through a crossed Account Payee Bank Draft/Banker's cheque in the name of "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in the prescribed form shown in Annexure-D.

(b) Regulatory Commission shall credit the amount of fees received from the Private Universities within 15 days in the Treasury under the Head "0202-Education, Sports, Art and Culture, 03-University and Higher Education, 0883-receipt from Private Universities"and information shall be kept in form shown in Annexure-E and a copy of the same be transmitted to Sponsoring Body.

(c) Information with regard to fees collected from the Private Universities under the provisions of these rules and deposited in Government Treasury, and penal interest, if any, imposed and deposited in the Government Treasury, and other relevant information in this regard for every financial year shall be maintained in the office of the Regulatory Commission. Penal interest information shall be kept in the form shown in Annexure-F

10. Establishment of the Regulatory Commission:- (a) Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Viniyamak Ayog functioning in the State shall be succeeded by Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission and shall function in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder.

(b) The Head Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission shall be at Raipur.

11. Functions of the Regulatory Commission:- (a) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in Sub-section (8) of Section 36 of the Act as well as such other functions as it may deem fit to achieve the objectives laid down in sub-section (1) of Section 36 of the Act.

(b) Any other such matter concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education which may be referred by the State Government.

12. Power to make Regulations:- (a) The Commission shall lay down the procedures for performance of its functions and for administration and management of the Commission in the form of Regulations.

(b) Till regulations are made as provided in these Rules, the Regulatory Commission may adopt for purpose of administration and management of the Commission, Rules, if any, mutatis mutandis, of Government of Chhattisgarh, or may make such arrangements as it may deem fit.

13. General Control of Visitor:- (a) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(b) The Visitor in performance of his duties of general control of the Regulatory Commission, may call for any paper or information relating to the affairs of the Regulatory Commission for reasons to be recorded and thereon, by an order in writing, give such directions to the Regulatory Commission on that basis.

(c) The Visitor may before issuing any direction, call comment of the Commission and may also direct for personal presentation on any matter before giving any direction.

14. Terms and Conditions of Service of Chairman and Members:-

(1)- (a) A person appointed as Chairmn or Full Time Member or Part Time Member shall hold office for a term of 3 years.

(b) Person who has held office as Chairman or Member shall be eligible for further appointment for one more term.

(c) No person shall be eligible for the post of Chairman or Full Time Member or Part Time Member who has held or is holding an office with any of the Private Universities establishes under the Act or Private Universities established outside the State of Chhattisgarh.

(2) No person shall hold the office after the age of 70 years.

(3) The Chairman or a Full-Time Member or a Part Time Member may resign his office by writing under his hand addressed to the visitor, and shall forward a copy of that resignation letter to the Higher Education Department.

(4) If at any time upon representation made or otherwise it appears to the Visitor that the Chairman or Member;

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under the Act, or

(b) has acted in manner prejudicial to the interest of the Regulatory Commission, or

(c) is incapable of managing the affairs of the Regulatory Commission, the visitor may notwithstanding the fact that the term of office has not expired, by an order in writing, recording the reasons therein, require the Chairman/Member to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

Provided that no such order shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Chairman and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (4), Chairman or Member shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Chairman or Member shall fall vacant.

(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full-Time Member or Part-Time Member, whether by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by a fresh appointment.

Education Department may, in consultation with the visitor, fill any casual vacancy of the office of the Chairman by appointing any Full Time Member for not exceeding two montl

(7) During the absence of the Chairman due to leave, illness, or any other cause, the Full-Time Member nominated by the Chairman shall discharge functions and duties of the Chairman

(8) The Office of the Chairman as well as all the Full Time Member shall be whole-time and salaried one.

(9) The Full Time Members shall perform such functions as may be assigned to them by the Chairman from time to time.

(10) The Chairman shall receive a consolidated salary of Rs.25000/- per month,irrespective of the pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him.

Provided that, if the Chairman is not getting any pension he shall be entitled to receive a salary of Rs.25000/-per month and dearness allowance and other allowance as admissible for class-I, State Government Servants of Government of Chhattisgarh, from time to time.

(11) The Chairman shall be entitled to free furnished residential accommodation at the Headquarters of the Regulatory Commission, maintained by the State Government.

(12) The Chairman shall be provided with one Car alongwith one Driver, Telephones with STD facility in office and at his residence.

(13) The Full Time Member shall receive a consolidated salary of Rs.18,400/- per month irrespective of pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him.

A Member not getting pension shall be entitled for salary of Rs.18,400/- per month with Dearness Allowance and other allowances admissible for Class-I State Government Servants of the State Government.

(14) The Full Time Member shall be entitled to House Rent Allowance (HRA) admissible as per Government of Chhattisgarh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicabel to Class-I, State Government Servants, alongwith Telephones with STD facility in office and at his residence.

(15) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to 13 days casual leave and one month's earned leave/medical leave in one calendar year. Leave Record of the Chairman and the Full Time Members shall be kept in the office of the Regulatory Commission.

(16) During travel for the work of the Regulatory Commission or the Government, Chairman and Full Time Members of the Commission would be entitled to Traveling Allowance and Dearness Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I of State Government Servants, and in addition reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.

(17). The Chairman and Full Time Members shall be entitled to such medical benefits as may be admissible for Class-I of State Government Servants of of Chhattisgarh or to Medi-claim in lieu thereof, as may be decided by the Education Department.

(18). The Chairman and the Full Time Members shall not receive any retirement benefits such as pension, gratuity or both from the Regulatory Commission.

(19). A Part Time Member shall be entitled to sitting fee of Rs.1,000/-per day and Traveling Allowance at the rates applicable at the time to Class-I of State Government Servants, and in addition, for the period spent on duty, reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.

15. Meeting of the Commission:- (a) The Regulatory Commission shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman.

(b) The Chairman and in his absence, senior most Full-Time Member /Part Time Member of the Commission shall preside over the meetings of the Commission.

(c) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

If, no Member is appointed then Chairman shall decide the questions by passing Speaking Orders/Resolutions.

If the Chairman and only one Member is present in the meeting then decision shall be taken by Chairman by speaking orders after recording the views of the Member present in the meeting.

(d) Minutes of every meeting of the Regulatory Commission shall be recorded by one of the Full Time Members of the Commission or by an officer of the Commission authorized for the purposes

by the Chairman. The minutes shall be validated by signature of the Chairman and shall be kept as a permanent record of the Regulatory Commission.

16. <u>Vacancy etc. not to invalidate the proceedings of the Commission</u>:- No act or proceedings of the Commission shall be invalidated merely by reasons of :-

(a) any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Commission; or

(c) any irregularity in the procedure of the Commission, but not affecting the merits of the case.

17. <u>Temporary association of persons with the Commission for particular purposes</u>:- (a) The Regulatory Commission may associate with itself any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act or rules made thereunder.

(b) A person associated with it by the Commission under Sub-section (a) for any purpose may be invited by the Commission to take part in the discussions relevant for the purpose, or in any meeting of the Commission in which the relevant purpose is included as an agenda item of the meeting of the Commission. But such person shall not have a right to vote at a meeting of the Commission and shall not be a member for any other purpose.

(c) A person associated with the Commission for the purpose of this rule 17 shall be paid a sitting fee of Rs. 500/- per day and

Traveling Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I Chhattisgarh State Government Servants for the time being in force.

18. Authentification of Orders and other instruments of the Regulatory Commission:- All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any person authorized by the Chairmar in this behalf, and all other instruments issued by the Commission shall be authenticated by a signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any other person of the Commission authorized in a like manner in this behalf.

19. Payment to the Commission:- The Government of Chhattisgarh may, after due appropriation made by the State Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Regulatory Commission in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Commission under the Act.

20. Fund of the Regulatory Commission:- (a) The Regulatory Commission shall have its own Fund and all sums which may from time to time be paid by the State Government and all the receipts of the Commission (including Endowment Fund, Additional Fund and any sum which any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund, and all payments of the Commission shall be made therefrom.

(b) All the money belonging to the Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India, Act,1934 (No.2 of 1934).

(c) The Commission may spend such sum as it may think fit for performing its functions under the Act, and such sums shall be treated as an expenditure payable out of the Fund of the Regulatory Commission.

21. Budget:- The Regulatory Commission shall prepare in such form and at such time each year as may be decided by the Commission, a budget in respect of the financial year next ensuing showing au estimated receipts and expenditures and copies thereof shall be forwarded to the Education Department, with a view to obtain due appropriation by the State Legislative Assembly and payments thereafter of appropriated sums to the Regulatory Commission, as provided under rule 19 above.

22. Annual Report: The Regulatory Commission shall prepare once in every financial year, in such form and at such time as may be decided by the Commission, an Annual Report giving true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department. The Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

23. Account & Audit:- (a) The Regulatory Commission shall cause to maintain such Books of Account and other account in relation to its account in such form and in such manner as may be decided by the Commission.

(b) The Regulatory Commission shall, as soon as may by after closing its Annual Account, prepare a statement of account in such form and by such date as the Regulatory Commission may determine.

(c) The accounts of the Regulatory Commission shall be audited by a Chartered Accountant immediately after closing of the financial year.

(d) The accounts of the Regulatory Commission as certified by the Chartered Accountant together with the Audit Report

thereon shall be forwarded to the Higher Education Department and the Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

24. <u>Staff, Accommodation and other Facilities of Regulatory Commission</u>:

(a) The Regulatory Commission shall appoint on deputation or otherwise such number of officers and other employees as may be necessary for the purpose of enabling it to efficiently discharge its functions under the Act.

(b) For its officers and employees, the Regulatory Commission shall take decision and accordingly acquire accommodation, equipments and other facilities as it may consider necessary.

25. <u>Relaxation of Rules</u>:- On such matters which are not covered under these Rules, State Government may take decision on the basis of recommendation of the Regulatory Commission, which is supported by the Principle of Equity.

26. <u>Laying of the Rules on the Table of the Legislative Assembly</u>:- These Rules shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

27. <u>Repeal and Savings</u>:-The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya Rules, 2004 and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Rule, are hereby repealed and rescinded as the case may be.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

ANNEXURE – A

APPLICATION FORMAT FOR ESTABLISHMENT OF A PRIVATE UNIVERSITY IN THE STATE OF CHHATTISGARH

(UNDER THE PROVISIONS GIVEN IN SECTION 4 OF THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005)

(1)	Details of Sponsoring Body (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Pin code	
	(d)	Telephone No. (with STD Code)	
	(e)	Fax No.	
	(f)	E-mail	
(2)	Particulars of registration of the Sponsoring Body and its constitution and bye laws (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	the Sponsoring Body is a Registered Society under Chhattisgarh Society's Registrykaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973); or	
	(b)	Is a Public Trust; or	
	(c)	Is a Company registered under Section 25 of the Companies Act,1956 (No. 1 of 1956).	
	(d)	Whether the Sponsoring Body is a body which is not registered under any of the arrangements as provided under (a), (b) and (c) but is registered under another Act which is for the time being in force. If yes, give particulars of that Act.	

	(e)	Attach certified copies of the Registration	
	(f)	Attach Constitution and Bye-laws	
(3)	Attach certified copies of the audited accounts of the Sponsoring Body for the past 3 years. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(4)	Information regarding financial resources of the Sponsoring Body (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(5)	Name of the proposed University (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(6)	Full address where the main campus of the proposed University to be established (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(7)	Objectives of the proposed University. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(8)	Whether proposed University would demand minority status under Article 30 of the Constitution?, If yes, give details. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(9)	Whether the Main Campus of the University will be located in an area which is not a general area ? (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

(10)	Details about the land for the use of the proposed University. (Detailed information given in section .... of the Project Report)			
	(a)	Details of the land for full use of the University, if available on the date of application.		
		(i)	Ownership of land (with necessary proof)	
		(ii)	Area of land	
		(iii)	a map of the land	
	(b)	Land that will be acquired after receipt of the Letter of Intent		
		(i)	Ownership of land (with necessary proof)	
		(ii)	Area of land	
		(iii)	a map of the land	
		(iv)	Land will be acquired from whom ?	
		(v)	Financial arrangement for acquisition of land.	
(11)	Details of campus development before the commencement of functions of the University. (Detailed information given in section .... of the Project Report)			
	(a)	Construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities		
	(b)	Plan for procurement of equipments		
	(c)	Outline of phase-wise programme for the coming 5 years.		

(12)	Details of phased outlays of Capital Expenditure proposed for 5 years and its sources of finance. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(13)	Nature of faculties (Name) (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Names of faculties like Science, Arts, Commerce, Technical Education, etc.	
	(b)	Courses under each faculty like graduate, post-graduate, etc.	
	(c)	Relevance of each course in the context of development of the State.	
	(d)	Targeted students strength in each course	
	(e)	Proposed phased programmes for courses for next 5 years.	
	(f)	For each course, give information whether for starting it, prior approval from Central Regulatory Body or / and State Regulatory Body is necessary. If yes, give details of the same. If prior approval has not been obtained, give details mentioning the provision under which Central / State Act, prior permission is necessary.	
(14)	Experience and expertise, (if any), in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(15)	Availability of academic facilities required for the courses of study and research. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Teaching Staff	
	(b)	Technical and Non-technical Staff	

	(c)	Equipments and Laboratories	
(16)	Details about the expenditure on each of the proposed courses (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Estimate of recurring expenditure	
	(b)	Sources of finance	
	(c)	Estimated expenditure per student	
(17)	Scheme for mobilizing resources (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Cost of capital	
	(b)	Manner of repayment	
(18)	Scheme for generation of funds internally from various sources (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Fee from Students	
	(b)	Consultancy Services	
	(c)	Other activities relating to the objects of the Private University.	
(19)	Proposed fee structure for different Courses, Concessions, and Scholar-ships (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	For General Category	
	(b)	For economically Weaker Sections	
	(c)	For Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
(20)	System proposed to be followed for admissions to the courses of study. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		

(21)	System proposed to be followed for appointment of Teachers and other Employees (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(22)	Mode of imparting education (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Conventional Method	
	(b)	Distance Education Method	
	(c)	Both, as above	
(23)	In case Distance Education is proposed, then names of the proposed Study Centres and their details (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(24)	Details of programmes related to local needs, nature of the specialized teaching, training and research activities. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(25)	Programmes for the benefit of Farmers, Women and Industries especially located in this State. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(26)	Available or/ proposed other facilities :- (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
	(a)	Hostel facility for the students (Boys / Girls)	
	(b)	Play grounds	
	(c)	National Cadet Corps, Scouts and Guides, National Service Scheme,etc.	
(27)	Details of the proposed Off-campus Centres and Study Centres in the Scheduled areas of the State. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		
(28)	Justification for the necessity of establishing the proposed Private University. (Detailed information given in section .... of the Project Report)		

(29)	If the Sponsoring Body had established erstwhile University, then full details giving number and date of the Notification regarding establishment and serial number in the Schedule – I of the Earlier Act. Also, mention whether Endowment Fund or / and Additional Fund was deposited or is in deposit ? If yes, then give full particulars with proof. (Detailed information given in section .... of the Project Report)	

(30)		Details of application fee (mention) :- (Detailed information given in section .... of the Project Report)	
	(a)	Amount in the crossed account payee demand draft	
	(b)	Name of the bank which has issued the demand draft.	
	(c)	Date and Number of the demand draft	
	(d)	Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.	

The above application for establishment of ____________________ (mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act,2005 (No. 13 of 2005) is submitted hereby on behalf of ______________________________ (name of the Sponsoring Body). Detailed particulars of every point of this application is given in the Project Report. Detailed information may be seen in the Sections of the Project Report referred at every point.

I certify that :-

(a) I am authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body, ______________________ (name of the Sponsoring Body).

(b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of ______________________ and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure)

Signature

Place : Name and Designation

Date : Name of Sponsoring Body

Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

Explanatory note for submitting application for establishment of a Private University

(1) Before applying for establishment of a University in the State of Chhattisgarh in Private Sector, please read carefully the provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 (No: 13 of 2005).

(2) The Act and the Rules can be obtained in person from the Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, 29/776, Plot No.5, Block No.3, Opp: Ram Mandir, Shantinagar, Madhu Pillai Chowk, Raipur : 492007 by producing a crossed Account Payee draft for Rs.500/- or by post by sending a crossed Account Payee draft for Rs.550/- in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable in Raipur.

(3) The Sponsoring Body or its Representative can seek guidance with regard to the establishment of the University from the Regulatory Commission. Guidance session shall be arranged only with prior appointment.

ANNEXURE - B

APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT FUND

To

Chirman,
Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission,
RAIPUR, (C.G.)

(1)	Details of Sponsoring Body		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Pin code	
	(d)	Telephone No. (with STD Code)	
	(e)	Fax No.	
	(f)	E-mail	
(2)	Name of the proposed Private University		
(3)	Full address where the main campus of the proposed Private University is to be established		
(4)	Location of Main Campus of the Private University.		

	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

5.	Details of the Endowment Fund of the erstwhile University (mention) *		
	(a)	Name of the erstwhile University	
	(b)	Name of the Sponsoring Body of the erstwhile University	
	(c)	Notification Number and date under which erstwhile University was established.	
	(d)	Serial Number in Schedule – I of the earlier Act of the erstwhile University	
	(e)	Whether main campus of the erstwhile University was established in the Scheduled Area ?	

* This information is to be furnished only by those Sponsoring Bodies which had established erstwhile University. Other Sponsoring Bodies may furnish NIL here.

	(f)	Amount of Endowment Fund of the erstwhile University which is in deposit with the Regulatory Commission. (give proof by attaching a photo copy of the Bank Pay-in-Slip).	
	(g)	Net amount of the Endowment Fund that the Sponsoring Body proposes to deposit after adjusting the Endowment Fund of the erstwhile University, as provided in proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Act.	

(6)	Details of Endowment Fund (mention)		
	(a)	Amount of Endowment Fund	
	(b)	Bank Draft Number, full particulars about the name of the Bank including its Branch name, Branch Number and Branch Code which has issued the Bank Draft.	
	(c)	Date of issue of Bank Draft	
	(d)	Name & designation of the person who has sent the amount of the Endowment Fund on behalf of the Sponsoring Body	
	(e)	On the back of the Demand Draft, mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University.	
(7)	Proof of opening the Savings Bank Account in the name of Sponsoring Body for depositing income from Endowment Fund		

	(a)	Name of the Scheduled Bank and its branch in which the Savings Bank Account has been opened.	
	(b)	Amount with which the Savings Bank Account has been opened. Attach photo copy of Deposit Slip issued by the bank as Annexure	
	(c)	Name & Designation of the person who will operate the Savings Bank Account on behalf of the Sponsoring Body.	
	(d)	Savings Bank Account Number and the date of establishment of this account.	

(8)	Details of Letter of Intent (mention)		
	(a)	Number and date of issue	
	(b)	Date of receiving by the Sponsoring Body	
	(c)	Attach a photo copy of Letter of Intent	

(9)	Any other information that the Sponsoring Body would like to provide or any request that the Sponsoring Body would like to make in the context of the establishment of the Endowment Fund.	

The above application for establishment of Endowment Fund for ______________________(mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act 2005 (No. 13 of 2005) is submitted hereby on behalf of the ____________________ (name of the Sponsoring Body) .

I certify that :-

(a) I am authorized to submit the application for establishment of the Endowment Fund on behalf of the ____________________ (name of the Sponsoring Body).

(b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of ____________________ and to deposit Rs.__________(Rupees ____________________) as Endowment Fund and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

Signature

Place : Name and Designation

Date : Name of Sponsoring Body

Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

ANNEXURE - C

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION , RAIPUR

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Date	

No.

Sub:- Certificate for the "Endowment Fund " deposited in the Account of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur.

Ref:- See Section 11(1) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005.

Sl. No.	Name of the University	Reference of letter of Intent issued by Higher Education Department, Govt. of Chhattisgarh.	Area of the establishment of proposed Private University (General / Scheduled Area	Amount	Particulars of Demand Draft deposited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place : Signature

Date : Name and Designation

Name of the Sponsoring Body (with seal)

ANNEXURE - D

STATEMENT OF FEES COLLECTED & SENT TO THE REGULATORY COMMISSION

Name of the University		
Address with Pin code		
Phone No. with STD Code		Fax No :
Statement No. Year		E-mail :

Name of the month for which the fee collection relates ____________

Sl. No.	Name of the Campus/ Study Centre	Address of campus/ study centre	Name of course	Number of enrolled students	Rate of fees per month	Total fees collected	1 % column No. 7	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total of column 7 : Rs. _________ (in figures). Rs.______________________________(in words)
Total of column 8 : Rs. _________ (in figures). Rs.______________________________(in words)

(1) Name of the bank alongwith its branch which has issued the Demand Draft _______________
(2) Demand Draft No.______________________
(3) Date of issue of Demand draft : _______________

Certified that the statement of fees collection as given here is verified by us and is correct.

Date :_____________ Registrar Chief Finance & Accounts Officer

Explanatory Note

(1) Column No.4 : Mention name of the course for which the fee is collected from the student
(2) Column No.6 : "Fee means " collection made by the University from the students by whatever name it may be called but which is not refundable.

ANNEXURE - E

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMIION, RAIPUR

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Date	

No.

Sub:- Statement of fees credited to the Consolidated Fund of the State of Chhhattisgarh

Ref:- See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Statement of Fee amount deposited in Treasury

Sl. No.	Name of the University	Month in which fees was collected	Statement Number & Year	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total of column 5 : (Rs.) __________(in figures) (Rupees ______________________(in words)

(1) Name of Payee : Government of Chhattisgarh ,Raipur,____________________

(2) Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State__________

(3) Name of the Treasury in which amount is deposited :________________

(4) No. of Account Payee Cheque

(5) Date of issue of Cheque

(6) Name of the bank on which the Cheque is drawn

(7) Name and designation of the Officer of Regulatory Commission signing the Cheque

(1) Signature
Designation

(2) Signature
Designation

Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur

Explanatory Note

(1) Column No.4 : Information about the fees collected in each month and sent to the Regulatory Commission is contained in the Form . Information for every month in the Form shall be numbered by the concerned University as Statement Number. Private University shall also mention the year. This statement number and year should be mentioned in this column in the office of the Regulatory Commission.

ANNEXURE - F

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, RAIPUR

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Date	

No.

Sub:- Statement of Penal Interest credited to the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh
Ref:- See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Sl. No.	Name of the University	Resolution Number of the Regulatory Commission empowering to impose and collect the penal interest	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total of column 4 : (Rs.) _________(in figures) (Rupees _____________________(in words)

(1) Name of Payee : Government of Chhattisgarh ,Raipur,____________________
(2) Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State.________
(3) Name of the Treasury in which amount is deposited :________________
(4) No. of Account Payee Cheque
(5) Date of issue of Cheque
(6) Name of the bank on which the Cheque is drawn
(7) Name and designation of the Officer of the Regulatory Commission signing the Cheque

(1) Signature
Designation

(2) Signature
Designation

Chhattisgarh Private Universities
Regulatory Commission , Raipur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.